N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0226 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/09/2025 16:05 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 20/05/2025 Date To (दिनांक तक): 23/05/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:05 बजे Time To (समय तक): 19:50 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/08/2025 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 03/09/2025 16:05.34 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 150 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): KARALYA TEHSILDAR GHADSANA, JILA SHRIGANGANAGAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIJAYPAL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PAYARA SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1977 (d) **Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.11, RAVALA MANDI, RAVALA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.11, RAVALA MANDI, RAVALA, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BABITA		पिता:VIRENDRA SINGH	1. V P O JUI KHURD,BHIWANI, भिवानी,हरियाणा,INDIA
2	RESHAM SINGH		पिता:BHAGWAN SINGH	1. CHK 14 D.O.L./365 HED,RAVALA,GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	पन्द्रह हजार रूपये गश्वित	15,000.00

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	की मांग करना	15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)**

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 20.05.2025 वक्त 12.05 पीएम पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड न. 11 रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर-प्रथम पर उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक, महोदय से मिलकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय ने मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी विजयपाल से मिलवाकर उनका प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया। प्रार्थना में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होकर उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना एवं प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर बताया कि मेरे पिता स्व. श्री प्यारा सिंह के नाम से चक 15 आरजेडी तहसील घड़साना के प.न. 38/24 व 38/32 में कुल 21 बीघा जमीन नाम दर्ज रिकॉर्ड है, मेरे पिता का दिनांक 20.09.23 को देहांत हो चुका है। मेरे पिता ने अपने जीवन काल में ही उक्त 21 बीघा जमीन मेरे व मेरे भतीजे के नाम से दिनांक 10.07.23 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत करवायी थी। उक्त वसीयत मे दर्ज भूमि के इंतकाल हेतु मैने दिनांक 06.02.25 को तहसीलदार घड़साना को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें सारी कार्यवाही हो चुकी है, आदेश जारी होना बाकी है। तहसील में पदस्थापित श्री रेशम सिंह ऑफिस कानूनगो ने इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी करने की एवज में तहसीलदार के नाम से प्रति बीघा 2000/रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है। नही देने पर इंतकाल के आदेश जारी नही करने की धमकी दे रहा है। मै हमारे जायज काम के बदले रिश्वत नही देकर रेशम सिंह को रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि उसकी तहसील में इस वसीयत के प्रकरण में दिनांक 23.05.25 तारीख नियत है, उस दिन मैं रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। इस पर परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह कानि. एवं श्री शिवदत्त कानि. से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री विजयपाल सिंह को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 23.05.2025 वक्त 5.30 एएम पर श्री शिवदत कानि. व श्री भवानी सिंह कानि. को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री विजयपाल सिंह से मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु हिदायत कर घड़साना की ओर रवाना किया गया। वक्त 7.00 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा श्री शिवदत कानि. व श्री भवानी सिंह कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। श्री भवानी सिंह कानि. ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मेरे को पेश कर बताया कि मै व शिवदत कानि. घड़साना गोपनीय स्थान पर पहुंच परिवादी विजयपाल सिंह से मिले व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय घड़साना की ओर रवाना कर हम दोनो गोपनीय स्थान पर मुकिम हो गये थे। परिवादी करीब 20 मिनट बाद तहसील कार्यालय मे वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मुझे आरोपी रेशम सिंह ऑफिस कानूनगो ने आधे घण्टे बाद तहसील कार्यालय में बुलाया है। फिर करीब आधे घण्टे पश्चात वापस परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय घड़साना की ओर रवाना किया गया। फिर परिवादी करीब 50-55 मिनट बाद वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि आरोपी रेशम सिंह ऑफिस कानूनगो ने मेरे वसीयत से इंतकाल सम्बधी कार्य के सम्बधं में बातचीत करते हुये मेरे से 20,000 /रूपये रिश्वत की मांग की है तथा मुझे आरोपी ने एक घण्टे बाद फिर बुलाया है तथा कहा है कि तब तक मै तहसीलदार मैडम से भी पूछ लूंगा तथा तुझे भी मैडम से मिलवा दूंगा। जिस पर करीब 10-15 मिनट बाद पुनः परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु तहसील कार्यालय घड़साना की ओर रवाना किया गया। जिस पर परिवादी करीब एक घण्टे बाद वापस आया एवं डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि आरोपी रेशम सिंह ऑफिस कानूनगो ने मेरे वसीयत से इंतकाल सम्बधी कार्य के सम्बधं में बातचीत करते हुये मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत

की मांगकर 15000/-रूपये सोमवार को लेना तय किया है तथा इस दौरान मेरी तहसीलदार मैडम से भी वार्ता हुई, जिसे मेरे द्वारा रेशम सिंह द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि के बारे में बताया गया है। परिवादी ने बताया कि आज मुझे काम है, मैं रविवार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर मै व शिवदत कानि. घड़साना से करीब 2.30 पीएम पर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये है। जिस पर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो परिवादी के उक्त तथ्यों की ताईद हुई। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। आगामी दो दिवस राजपत्रित अवकाश होने के कारण दिनांक 26.05.25 को कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत श्रीगंगानगर को दो स्वतन्त्र गवाह दिनांक 26.05.25 को सुबह 4.30 एएम भिजवाने हेतु जरिये तहरीर/दूरभाष निवेदन किये जाने पर अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन उत्तर श्रीगंगानगर द्वारा गवाह श्री प्रदीप कुमार व.स. एवं नरेश कुमार क.स. को पाबंद किया गया। दिनांक 26.05.25 वक्त 4.15 एएम पर परिवादी विजयपाल सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया तथा दिनांक 23.05.25 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया। परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को रिश्वत में देने वाली राशि 15,000 /रूपये साथ लेकर आया हूँ। वक्त 4.25 एएम पर तलबिदा गवाहान श्री प्रदीप कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री नरेश कुमार कनिष्ठ सहायक, जल संसाधन विभाग, श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनको गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह के रूप में शामिल रहने बाबत पूछा तो दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री विजयपाल सिंह का उक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं रिश्वत मांग सत्यापन बाबत बताया गया। दिनांक 23.05.25 को परिवादी श्री विजयपाल सिंह ने आरोपी श्री रेशम सिंह से व्यक्तिगत सम्पर्क कर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु वार्ता कर वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर सुनाना शुरू किया जाकर वक्त 7.30 एएम तक रिश्वत मांग सत्यापन की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर से सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री विजयपाल सिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी रेशम सिंह व तीसरी आवाज जो महिला की है वह तहसीलदार मैडम की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री भवानी सिंह कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको मेमरी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'V' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी विजयपाल सिंह तहसीलदार मैडम घड़साना से भी मिला है तथा रेशम सिंह द्वारा रिश्वत राशि की मांग करने तथा कम करवाने का कहा गया है तथा कुछ रिश्वत राशि के देने का प्रयास किया गया, जिस पर तहसीलदार मैडम ने मना कर दिया गया। हालांकि वार्ता के दौरान तहसीलदार मैडम द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग तो नही की गई है, परन्तु उसके द्वारा रेशम सिंह द्वारा मांग की जा रही रिश्वत राशि के बारे में बताने पर रिश्वत देने हेतु मना भी नही किया गया है। अतः उक्त वार्ता से तहसीलदार घड़साना की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। वक्त 7.45 एएम पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/-रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट पेश किये। नोटो के नम्बरो को फर्द में अंकित करवाकर श्री उपेन्द्र कुमार कानि. से फिनॉपथलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त नोटो पर फिनॉफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी गवाह से लिवाई जाकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी नोटो को श्री उपेन्द्र कुमार कानि. से परिवादी के पहने बुशर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवाया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। ट्रेप का ईशारा निर्धारित किया गया। फिर फिनॉपथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया का दृष्टांत दिखाकर हाजरीन को इसका महत्व व परिणाम समझाया गया। परिवादी को रिश्वती लेन देन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड स्थापित कर दिया गया। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब की गई। वक्त 8.15 एएम मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विजयपाल सिंह, स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार व.स., श्री नरेश कुमार क.स. एवं ब्यूरो स्टाफ मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी एवं प्राईवेट कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब घड़साना की ओर रवाना होकर वक्त 11.15 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के तहसील कार्यालय घड़साना के नजदीक पहूंच गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह को आरोपी से सम्पर्क करने तहसील कार्यालय घड़साना की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 11.30 एएम पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह बिना ट्रेप का ईशारा किये तहसील कार्यालय घड़साना से बाहर वापस आया एवं बताया कि आरोपी रेशम सिंह तहसील कार्यालय में अपने कक्ष में बैठा है, जिससे मेरे कार्य की बात की तो उसने आज शाम तक आईर की कॉपी देने का कहा है, जब उसे पैसे देने चाहे तो उसने कहा कि कार्यालय के भी कुछ नियम कायदे होते है कहकर कुछ गरम हो गया और मुझे शाम को चार बजे आने का कहा है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी सहित मौके से अनूपगढ़ रोड की तरफ रवाना

होकर अनूपगढ रोड़ स्थित चक 13 एमडी टोल नाके के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचा। जहां परिवादी विजयपाल सिंह को सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद हुई। परिवादी को आरोपी द्वारा चार बजे आने को कहा गया है, इसलिये मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकिम हुआ। वक्त 03.45 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री विजयपाल सिंह, स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ सहित मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं ट्रेप बॉक्स साथ लेकर सरकारी बोलेरो एवं निजी एवं प्राईवेट कार से गोपनीय कार्यवाही हेतु मौके से बजानिब घड़साना की ओर रवाना होकर तहसील कार्यालय घड़साना के नजदीक पहूंच गोपनीय स्थान पर वाहनो को रूकवाया गया। जहां पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर आरोपी से सम्पर्क करने तहसील कार्यालय घड़साना की ओर रवाना करते हुये ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 04.10 पीएम पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह बिना ट्रेप का ईशारा किये तहसील कार्यालय घड़साना से बाहर वापस आया एवं बताया कि आरोपी रेशम सिंह तहसील कार्यालय में अपने कक्ष में बैठा मिला, जिसे मैने 10 मिनट देने को कहा तो उसने मुझे कहा कि तेरा काम करके ऑर्डर की कॉपी पटवारी को भेज दी है, तु जा। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमहराहीयान के परिवादी सहित मौके से अनूपगढ रोड़ की तरफ रवाना होकर अनूपगढ रोड़ स्थित चक 13 एमडी टोल नाके के पास गोपनीय स्थान पर पहूंचा। जहां परिवादी विजयपाल सिंह को सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद हुई। इस प्रकार उक्त वार्ता अनुसार रिश्वत लेन देन सम्भव नही होने से परिवादी को सुपुर्द शुदा रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/रूपये को गवाह श्री नरेश कुमार क.स. से परिवादी के शुपर्ट की जेब से निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर सरकारी गाड़ी के डेशबोर्ड में सुरक्षित रखवाया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत कर वहीं से रूख्सत करते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के मौके से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा। जहां परिवादी से प्राप्त रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/रूपये सरकारी गाड़ी के डेस्कबोर्ड से निकलवाकर श्री राजेश कुमार मालखाना इंचार्ज के जरिये सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.06.25 को सुबह परिवादी श्री विजयपाल सिंह ने जरिये दूरभाष अवगत करवाया कि अब ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है, जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात जरिये दूरभाष गवाह श्री प्रदीप कुमार व.स. एवं श्री नरेश कुमार क.स. को भी वक्त 3.00 पीएम तक ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। वक्त 03.00 पीएम पर परिवादी श्री विजयपाल सिंह व गवाह श्री प्रदीप कुमार व.स. एवं श्री नरेश कुमार क.स. ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। दिनांक 26.05.25 को रिश्वत लेन देन हेतु परिवादी श्री विजयपाल सिंह द्वारा आरोपी रेशम सिंह से दो बार व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया है, वक्त रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता को ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था, जो मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा, डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर मे कनेक्ट कर सुनाना शुरू किया जाकर वक्त 04.10 पीएम तक रिश्वत लेन देने की रिकॉर्ड वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी के कार्यालय के कम्प्यूटर मे सुन-सुन कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन तैयार की गई। रिकार्ड वार्ता सुनकर वार्ता में परिवादी श्री विजयपाल सिंह ने एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी रेशम सिंह की होना बताया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता के कम्प्यूटर के जरिये श्री भवानी सिंह कानि. से दो पैन ड्राईव तैयार करवाकर एक पैन ड्राईव को कपडे की थैली में सील मोहर चिट कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस में लिया। दुसरे पैन ड्राईव को अन्वेषणार्थ खुली हालत में रखा गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित मैंमोरी कार्ड को बाहर निकालकर उसको सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में सीलचीट कर मार्क 'T' अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात उक्त ट्रेप कार्रवाई में माल वजह सबूतो को, जिस पीतल की सील न. 52 से सील मोहर चिट किया गया था, उस पीतल की सील का नमूना फर्द पर लिया जाकर फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर बाद कार्रवाई पीतल की सील को नष्ट किया गया। फिर परिवादी विजयपाल सिंह ने कार्यवाही बंद कर ट्रेप राशि वापस दिलाने बाबत एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। जिसमें अंकित किया कि मैने दिनांक 20.05.25 को मेरे पिता द्वारा अपने नाम की 21 बीघा जमीन मेरे व मेरे भतीजे के नाम से दिनांक 10.07.23 को रजिस्टर्ड वसीयत से करवायी थी। मेरे पिता के देहांत होने के पश्चात उक्त वसीयत से दर्ज भूमि के इंतकाल हेतु मैने तहसील घड़साना में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहसील में पदस्थापित श्री रेशम सिंह ऑफिस कानूनगो ने इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी करने की एवज में तहसीलदार के नाम से प्रति बीघा 2000/रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांगने पर आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु निवेदन किया था, जिस पर दिनांक 23.05.25 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया था। सत्यापन के तथ्यों के आधार पर आप द्वारा दिनांक 26.05.25 को 15,000 /रूपये की राशि पर ट्रेप का आयोजन किया गया, लेकिन आरोपी द्वारा मुझसे रिश्वत राशि कुछ शक सुबा होने से मेरे से रिश्वत नही लेने के कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी थी, आरोपी द्वारा मेरा उस दिन वसीयत से इंतकाल सम्बधी आदेश करवा दिये थे, अब आरोपी के पास मेरा कोई काम भी पेण्डिग नही है। आरोपी रेशम सिंह अब मुझसे रिश्वत राशि नही लेगा, इसलिये अब ट्रेप कार्यवाही सम्भव नही है। कार्यवाही बंद कर मेरे द्वारा प्रस्तुत राशि 15,000/रूपये वापस

लौटाने की कृपा करें। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र एवं उसके कथनानुसार इस मामला में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से कार्यवाई बंद की गई। परिवादी विजयपाल सिंह के आवेदन पर ट्रेप राशि 15,000/- रूपये श्री राजेश कुमार मालखाना इंचार्ज से मालखाना हाजा से मंगवाकर जरिये रसीद वापस लौटाये गये। रसीद शामिल कागजात की गई। आमदा परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को जाने की इजाजत दी गई। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही के आधार पर पाया गया कि परिवादी श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री प्यारा सिंह जाति रायसिख उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड न. 11 रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर के पिता स्व. श्री प्यारा सिंह द्वारा चक 15 आरजेडी तहसील घड़साना के प.न. 38/24 व 38/32 की कुल 21 बीघा की परिवादी व उसके भतीजे के नाम से दिनांक 10.07.23 को रजिस्टर्ड वसीयत करवायी थी, परिवादी के पिता का दिनांक 20.09.23 को देहांत होने पर परिवादी द्वारा उक्त वसीयत मे दर्ज भूमि के इंतकाल हेतु दिनांक 06.02.25 को तहसीलदार घड़साना के एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें सारी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मात्र आदेश जारी होना बाकी थे। परिवादी विजयपाल सिंह तहसील में पदस्थापित श्री रेशम सिंह अति.ऑफिस कानूनगो से मिला तो उसने इंतकाल दर्ज करने के आदेश जारी करने की एवज में तहसीलदार के नाम से प्रति बीघा 2000/रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग की। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 23.05.25 को आरोपी रेशम सिंह अति. ऑफिस कानूनगो के पास तहसील कार्यालय घड़साना में भिजवाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी रेशम सिंह ने परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वत की मांगकर 15000/रूपये लेना तय किया। जिसकी सत्यापन वार्ता मे पुष्टि होना पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान परिवादी श्री विजयपाल सिंह तहसीलदार घड़साना श्रीमती बबीता से भी मिला है तथा रेशम सिंह अति.ऑफिस कानूनगो द्वारा मांग की जा रही रिश्वत राशि के तथ्यों से अवगत करवाया तथा कम करवाने का कहा गया है तथा कुछ रिश्वत राशि के रूपये देने का प्रयास किया गया, जिस पर तहसीलदार मैडम ने मना कर दिया गया। उक्त तथ्य सत्यापन वार्ता में रिकॉर्ड है। उक्त तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि श्रीमती बबीता तहसीलदार घड़साना के उक्त प्रकरण संज्ञान में था। इस प्रकार श्रीमती बबीता तहसीलदार घड़साना द्वारा अपने अधिनस्थ अधिकारी श्री रेशम सिंह अति.ऑफिस कानूनगो के मार्फत परिवादी श्री विजयपाल सिंह से 15,000/रूपये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः परिवादी श्री विजयपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा ब्यूरो द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर करवाये गये सत्यापन के तथ्यों से वक्त सत्यापन दिनांक 23.05.25 को आरोपी रेशम सिंह द्वारा परिवादी विजयपाल सिंह से उसके पिता द्वारा करवाई गई वसीयत में वर्णित भूमि के इंतकाल आदेश जारी करने की एवज में श्रीमती बबीता तहसीलदार घड़साना द्वारा रेशम सिंह अति.ऑफिस कानूनगो के मार्फत 20,000/रूपये रिश्वत के मांग कर 15,000/रूपये लेना तय करने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपिया श्रीमती बबीता तहसीलदार एवं रेशम सिंह अति.ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) बी.एन.एस. 2023 का अपराध घटित होना पाये जाने पर आरोपीगण श्रीमती बबीता तहसीलदार एवं रेशम सिंह अति. ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 61(2) बी.एन0एस0 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें में सादर प्रेषित है। (भुपेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप अधीक्षक पुलिस , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बी.एन0एस0 2023 में आरोपीगण 1-श्रीमती बबीता पुत्री श्री विरेन्द्रसिंह उम्र 48 साल निवासी वीपीओ जुई खुर्द, तहसील व जिला भिवानी, हरियाणा हाल तहसीलदार घड़साना जिला श्रीगंगानगर एवं 2.श्री रेशम सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह उम्र 58 वर्ष निवासी चक 14 डी.ओ.एल. (365 हैड) तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर हाल अति. ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय घड़साना जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शालू विश्नोई,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,हनुमानगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 47 पर अंकित है।(महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1286-90 दिनांक 03-09-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 3- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर । 4 - जिला कलक्टर श्रीगंगानगर, 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SHALU BISHNOI **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/09/2025 16:08

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	10/03/1977				
2	Male	1967				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)